*383. [The questioner (Shri Dharam Pal Sabharwal) was absent. For answer *vide* page. 28]

गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत तालाबों का निर्माण

*384. **डॉ॰ मुरली मनोहर जोशी:†**
श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से 200 घनमीटर के तालाब किसानों की निगरानी में बनाकर 2.54 करोड़ घनमीटर जल भण्डारण की अतिरिक्त क्षमता पैदा की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस योजना के माध्यम से स्थानीय किसानों की जल समस्या का एक सीमा तक समाधान भी हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या सरकार इस योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का विचार रखती है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग किसानों के खेतों में 200 घन मीटर के तालाब (खेत तलवाड़ी) बनाए गए हैं। इनमें प्रत्येक की जल भंडारण क्षमता 200 घन मीटर है।

क्र.सं.	जिले का नाम	बनाई गई खेत तलवाड़ी की सं.	सृजित जल भंडारण क्षमता घन मीटर में
1.	बनासकांठा	31	6146
2.	साबरकांठा	0	0
3.	डांग	0	0
4.	नर्मदा	92	11484.45
5.	दाहोद	0	0
6.	पंचमहल	5	550.49
	कुल:	128	18180.94

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के परिवारों अथवा भूमि सुधार के लाभार्थियों अथवा इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की भूमि के लिए सिंचाई सुविधा

† सभा में यह प्रश्न डा. मुरली मनोहर जोशी द्वारा पूछा गया।

उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-I के तहत अनुमेय क्रियाकलाप हैं तथा इन कार्यों को देश के किसी भी हिस्से, जहां इस अधिनियम को लागू किया गया है, में शुरू किया जा सकता है।

Construction of ponds under NREG Scheme In Gujarat

†*384. DR. MURLI MANOHAR JOSHI:††
SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 200 cubic meter ponds were made in Gujarat through National Rural Employment Guarantee Scheme under monitoring of farmers which created an extra capacity of 2.54 crore cubic meter water storage;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that due to this scheme the water problem being faced by the farmers has been addressed upto some extent; and

(d) if so, the reaction of Government thereto and whether Government propose to contemplate to implement this model at national level?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) In Gujarat 200 cubic meters ponds (Khet Talavadi) In the farms of individual farmers belonging to SC/ST have made under National Rural Employment Guarantee Act which creates 200 cmt. Water storage capacity each as per details below:—

Sl. No.	Name of District	No.of Khet Talawadi made	Water storage capacity created in cubic meter
1	Banaskantha	31	6146
2	Sabarkantha	0	0
3	Dang	0	0
4	Narmada	92	11484.45
5	Dahod	0	0
6	Panchmahal	5	550.49
	TOTAL:	128	18180.94

† Original notice of the question was received in Hindi.

†† The question was actually asked on the floor of the House by Dr. Murli Manohar Joshi.

(c) and (d) Works relating to providing irrigation facility to land owned by households belonging to SCs and STs or to land of beneficiaries of land reforms or that of the beneficiaries under Indira Awas Yojana is a permissible activity under Schedule I of NREG Act and can be taken up in any part of the country where the Act has been implemented.

डा. मुरली मनोहर जोशी: श्रीमन् यह प्रश्न जो मैंने किया था, उसके संदर्भ में जो उत्तर मिला है, वह तो अपने आपमें अलग ही चीज है, शायद सरकार को, गुजरात मॉडल को जो अच्छे से अच्छा काम किया है, उसको मानने में या उसका प्रचार-प्रसार करने में कुछ संकोच है, यह उनकी अपनी बात है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इंटरनेशनल वॉटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार ने यह कहा है कि भारत एक बहुत ही एक्यूट और मेजर वाटर क्राइसिज में है, गंभीर जल संकट से गुजर रहा है और इसका जो परिणाम है, मात्रा है, वह इस हद तक है कि भारत में जो ग्राउंड वाटर से, भूतल से नीचे के जल की उपलब्धि है, वह 1967 में जहां 6000 क्यूबिक मीटर थी, वह अब घटकर 1900 क्यूबिक मीटर रह गयी है? क्या यह बात सच है, जो वे यह कह रहे हैं? दूसरा, यह 1997 में आयी थी, आज की क्या स्थिति है? क्या यह मात्रा 1900 क्यूबिक मीटर से घटी है या बढ़ी है? इसके अतिरिक्त क्या जो कुछ उपलब्धता है, वह आज की भारत की घरेलु और कृषि से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पर्याप्त है? यदि नहीं तो आप इस संबंध में क्या कर रहे हैं?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य डा॰ जोशी जी की चिंता जायज है। वाटर की कमी दुनिया के स्तर पर होने वाली है, यह लोग बता रहे हैं। अभी भी कमी है। हमारे देश में भी पानी की कमी है, कुछ खास एरियाज में भी पानी की कमी है। जो पहले वर्षा होती थी, उसका 38 फीसदी पानी जमीन में जाता था। अब 13 प्रतिशत जा रहा है, बाकी कम हो गया है। इसीलिए जो इम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम बना, उसमें टॉप प्रायोरिटी वाटर कंजर्वेशन, वाटरशेड मैनेजमेंट और वाटर मैनेजमेंट को दी गयी है। उसके लिए पानी के संचयन की जरूरत है और देश स्तर पर उसके लिए चेतना लाने की जरूरत है कि वाटर कंजर्वेशन को टॉप प्रायोरिटी देकर, जो वर्षा का पानी है, उस पानी को जमा किया जा सके। जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे, एक मुहावरा था कि "पैसा पानी की तरह बहा दिया"। अब समय आ गया है कि पैसे की तरह पानी को रोकने का, जमा करने का काम किया जाए। जैसे बैंकों में पैसे जमा करने की व्यवस्था है, वैसे ही जो पुरानी वाटर बॉडीज है या अंडरग्राउंड वाटर जमा किया जा सके, उसकी जरूरत है। इसलिए माननीय सदस्य की चिंता से हम सहमत है, सरकार सहमत है और उस तरफ हम काम कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में हम पानी की कमी का मुकाबला कर सकें और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। महोदय, प्रकृति में हमें जो तीन हिस्से पानी दिया है...

श्री सभापति: ध्यान रखना, जो आजकल पानी का मुकाबला कर रहे हैं, वे बह भी जाते हैं।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, तीन हिस्से पृथ्वी में पानी है, एक ही हिस्से में जमीन है। उसमें 97 फीसदी पानी खारा है, केवल तीन फीसदी मीठा पानी है। उसमें दो फीसदी बर्फ में और नदी-नालों में है, एक फीसदी जमीन के अंदर है। जमीन के अंदर का पानी भी घट रहा है, उस कमी की आपूर्ति water recharge, rain water harvesting, यह सब जो वैज्ञानिकों ने सलाह दी है, उस तरफ हम प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे तो महोदय, अभी तो अजीब समय आ गया है। लाइन लग गई थी समुद्र का पानी पीने के लिए और गणेश की मूर्ति ने पहले भी दूध पिया था, और अभी फिर मूर्तियों से दूध पिलवाने लगे। इससे भी हमें बचना पड़ेगा। अंधविश्वास से बचना पड़ेगा और वैज्ञानिकों की राय के अनुकूल काम करना पड़ेगा।

कुछ माननीय सदस्य: बहुत बढ़िया।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: बहुत प्रसन्नता की बात है, लेकिन आपने जो कुछ कहा है, उसमें से तत्व कुछ नहीं निकला। पानी निकला ही नहीं उसमें से। अभी सरकार बार-बार कह रही है कि हमें दस प्रतिशत विकास दर प्राप्त करनी है, लेकिन कृषि में जब तक चार या पांच प्रतिशत ग्रोथ नहीं होगी, तब तक यह प्राप्ति नहीं हो सकती। तो क्या सरकार यह जानती है कि अस्सी प्रतिशत भरेलु और सत्तर प्रतिशत कृषि का काम, जो पानी से होता है, वह भूतल के नीचे वाले पानी से होता है और उसकी अब यह स्थिति हो गयी है कि जिनको आप over exploited blocks कहते हैं या dark blocks कहते हैं, उनकी संख्या जो 253 थी, वह आज बढ़कर 1065 हो गई है और यह कहा जा रहा है कि अगर यही रफ्तार रही, तो सन् 2018 में भारत में आपको पानी शायद बाहर से इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा। यहां वह उपलब्ध नहीं होगा और जमीन के नीचे तो वह मिलेगा ही नहीं। तो आप इसके लिए क्या उपाय कर रहे हैं और इसीलिए, जो गुजरात सरकार का मॉडल है, क्या आप उसे लगाएंगे या नहीं लगाएंगे?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, माननीय सदस्य की चिंता से हम सहमत हैं, देश सहमत है ...(व्यवधान)...

डा॰ मुरली मनोहर जोशी: लेकिन गुजरात का मॉडल नहीं लगाएंगे? गुजरात से आप सहमत हैं, लेकिन गुजरात का मॉडल नहीं लगाएंगे?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: आप गुजरात मॉडल कह रहे हैं, तो गुजरात मॉडल ...(व्यवधान)... जो हमने उन्हें अनाज दिया SGRY में, उन्होंने उसका अच्छा इस्तेमाल जरूर किया। खेत-तलाऊ उन्होंने बनाया है, फर्क इतना ही था कि मैं कह रहा था कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और लैंड रिफॉर्म्स के beneficiaries हैं, उन्हीं की जमीन में यह काम होना चाहिए, लेकिन इन्होंने सबकी जमीन में करा दिया। फिर भी हमने इनको रोका नहीं। ...(व्यवधान)...

श्री कलराज मिश्र: आपने तो गुजरात सरकार की तारीफ की है इस संबंध में।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, इसलिए हमने अतिरिक्त अनाज दिया, उसी का इन्होंने इस्तेमाल किया और खेत तलाऊ बनाए। तो देश भर में राज्य सरकारें, उसी तरह कोई आगे, कोई पीछे काम कर रही है। गुजरात सरकार ने अच्छा काम किया है, हम उनसे सहमत है। थोड़ा ...(व्यवधान)... अनुसूचित जाति, जनजाति का इन्होंने ख्याल नहीं किया।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: सर, मैं आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से information चाहूंगा कि देश में पानी की कमी बढ़ती जा रही है। 1960 में प्रति व्यक्ति जल की प्राप्ति 6900 क्यूबिक मीटर थी, जो 1997 में घटकर 1900 क्यूबिक मीटर हो गई। मेन कारण है कि देश मे पानी इकट्ठा करने की कैपेसिटी बहुत कम है। अमेरिका में 1964 क्यूबिक मीटर जल स्टोरेज करने की कैपेसिटी है, जबकि भारत में यह कुल 207 क्यूबिक मीटर है। देश में जल समस्या को हल करना है, तो देश की जल स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या सरकार वाटर मैनेजमेंट में देश के विकास की आधारभूत सुविधाओं को नए बजट में जोड़ेगी और नए स्तर पर योजना बनाकर, देश के हर गांव में सुविधा देगी और गुजरात में खास करके हर गांव में, चार-पांच ponds हों, क्या सरकार नेशनल लेवल पर इसको हल कर सकेगी?

श्री सभापति: ठीक है, ठीक है। ...(व्यवधान)...

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: सर, मेरा एक प्रश्न और है, यह नेशनल प्रॉब्लम है और महोदय, पंजाब के हर गांव में, हम जिसे छप्पड़ बोलते हैं, हर गांव में छप्पड़ हुआ करते थे। अब वे गायब हो गए हैं और मैं इनसे एक बात कहना चाहता हूं कि छप्पड़ की जो जमीन थी ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: क्वेश्चन कीजिए, टाइम की कमी है।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: सर, जो छप्पड़ की जमीन थी पंजाब में, वह पंचायत की और जामलात की थी। उस पर लोगों ने एनक्रोचमेंट कर लिया है, उसको भी रोका जाए, यह भी मैं इनसे कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: ठीक है। मंत्री जी, छोटा ही जवाब दीजिएगा। आप छोटा ही जवाब दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जी, सभापति महोदय, महोदय, एम्पलॉइमेंट गारंटी में इतनी टॉप प्रियॉरिटी और जो हमारी प्रगति है, उसमें 1,40,789 वाटर कंजर्वेशन का काम शुरू हो गया है, जिसमें 29,392 का पूरा हो गया है और 1,11,397 का काम चल रहा है । हम दो-तीन वर्षों में देखेंगे कि एम्पलॉइमेंट का इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि जो अभी पानी की कमी होने के बारे में भय और आशंका है, तो पानी की कमी नहीं रहेगी। उसमें वाटर हार्वेस्टिंग रिचार्ज, वाटर कंजर्वेशन और वाटर सेव मैनेजमेंट वगैरह सभी हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त को जो रेन फेड एरिया अथॉरिटी

की घोषणा की थी, उसका भी गठन हो गया है। इसलिए सरकार का पूरा जोर है कि आगे आने वाले समय में पानी की कमी न हो, इसलिए वाटर कंजर्वेशन, वाटर सेव मैनेजमेंट को टॉप प्रियॉरिटी दी जा रही है। और इस दिशा में शुरूआत हो गई है। इसमें राज्यों का भी बड़ा भारी सहयोग है और पंचायती राज का भी सहयोग है, इसलिए हम माननीय सदन से भी अपेक्षा करते हैं कि माननीय सदस्य सही सवाल उठा रहे हैं, हमें पानी की चिंता है और हम लोग पानी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग पानी के मामले में पीछे नहीं रहेंगे और आगे इसकी कमी नहीं होने दी जाएगी।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Chairman, Sir, the National Rural Employment Guarantee Programme is part of the policy of the UPA Government to provide employment opportunities to the rural people, especially, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the downtrodden. The implementing agency is the State Government. Ninety per cent of the Fund is provided by the Central Government. Sir, I went to some States, and found that for publicity alone, displaying the Chief Minister's photo and on other advertisements they are spending 15 per cent of the money given by the Central Government. Enrolling people and giving them job cards ...(*Interruptions*)...

SHRI N. JOTHI: It is there in Tamil Nadu ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Kindly sit down. ...(*Interruptions*)... It is a very important question. ...(*Interrupations*)...

श्री सभापति: हो गया, हो गया।...(**व्यवधान**)... ठीक है, ठीक है। Please take your seat ...(*Interruptions*)... आप बोलिए, बोलिए।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, in the State of Madhya Pradesh, for giving job cards, even the names of Joint Secretaries and their family members have been included there. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: आप क्वेश्चन पर आइए।..(*Interruptions*)... Please come to the question ..(*Interruptions*)... क्वेश्चन पर आइए।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the minimum wage has been fixed at Rs. 80 ...(*Interruptions*)...

श्री रुद्रनारायण पाणि: *

श्री सभापति: बैठिए, आप बैठिए।...(**व्यवधान**)... कोई रिकार्ड पर नहीं जा रहा है, मेरी बिना अनुमति के बोल रहे हैं।

---

*No recorded.

SHRI V. NARAYANASAMY: But in a particular State, that is, Madhya Pradesh, they are giving Rs. 25-30 to the tribal people who are working there ...(*Interruptions*)...

श्री सभापति: आप बैठ जाइए, यह ठीक नहीं है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, finally, the job card is to be given to only one member in one family, but, four members of a family are being given this card. This is a big scandal. I want the hon. Minister to look into this. You are giving 90 per cent of the money. But that should be given to only the deserving people and not to Joint Secretaries and their family members. It should go to the tribal people, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the downtrodden people. What are you doing? ...(*Interrupations*)...

श्री सभापति: बस, बस हो गया। ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए। ...(व्यवधान)...

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: चेयरमैन साहब, मेरे प्रश्न का तो जवाब ही नहीं आया है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: जैसा आपका प्रश्न था, वैसा जवाब मिल गया है। ...(व्यवधान)...

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: सर, पूरा जवाब देना चाहिए था। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है। मंत्री जी आप छोटा जवाब दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: उन्होंने तो बहुत बोल दिया है। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बहुत बोल दिया तो क्या है? ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए, ऐसे नहीं होगा।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, एम्पलॉइमेंट गारंटी कानून देश की करीब 85 हजार पंचायतों में ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: वह सबको मालूम है। आप वह जवाब दो, जो मालूम नहीं है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: जी, अच्छी शुरूआत हुई है और राज्यों में जो मिनिमम वेज लागू है, हमने उसी को लागू रहने दिया है और हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। कानून में भी प्रावधान है कि राज्य में जो मिनिमम वेज एक्ट, 1948 सैक्शन 3 के अनुसार लागू है, वही लागू रहेगा और जरूरत पड़ने पर ही सैन्टर हस्तक्षेप करेगा। अभी हमारी इसमें हस्तक्षेप करने की कोई परिस्थिति नहीं आई है। कुछ राज्यों में जो इन्टरप्रिटेशन में त्रुटि थी, हमने उसमें भीसुधार कर लिया है, इसलिए बढ़िया ढंग से यह लागू है। ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, funds are being misused. ...(*Interrupations*)...

श्री सभापतिः श्रीमती वृंदा कारत। ...(व्यवधान)... Please take your seat. ...(*Interruptions*)... कोई रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है।

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, they are misusing funds. ...(*Interruptions*)...States are misusing the funds ...(*Interruptions*)... They are misusing funds. ...(*Interruptions*)...

श्री सभापतिः वह ठीक है, हम मिसयूज देख लेंगे। .....(व्यवधान).... No. no. ...(*Interruptions*)... वह ठीक है, आप इनसे बात कर लीजिए। ...(व्यवधान)...

SHRI N. JOTHI: There are a lot of advertisements. ...(*Interruptions*)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, funds are being misused. ...(*Interruptions*)... They are misusing funds. ...(*Interruptions*)... There are advertisements. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: Shrimati Brinda Karat. ...(*Interruptions*)..,You have already put your question ...(*Interruptions*)... Please take your seat. ...(*Interruptions*)... Please take your seat. ...(*Interruptions*)... Let her speak. ...(*Interruptions*)... I am not responsible for all that. ...(*Interruptions*)... आप बैठिए, बैठिए ...(व्यवधान)...

श्री रूद्रनारायण पाणिः सभापति जी, राज्य सरकार धन का misuse नहीं कर रही है ...(व्यवधान)... श्री सभापतिः आप बैठिए बैठिए ...(व्यवधान)... श्रीमती वृंदा कारत ...(व्यवधान)... आप बैठ जाइए, मैं कह रहा हूं आप बैठ जाइए, कोई जवाब आपको नहीं मिलेगा ...(व्यवधान)... Please take your seat. ...(*Interruptions*)... चलिए, अब आप उनकी तरफ मत देखिए, नहीं तो वैसी ही हो जाओगी।

श्रीमती वृंदा कारतः सभापति जी, मैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः बोलिए, बोलिए, आप जल्दी बोलिए ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारतः सभापति जी, मैं आपके द्वारा ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, the hon. Minister has not replied to my question ...(*Interruptions*)...

श्री सभापतिः ठीक है, कमरे में वहां दिलवा दूंगा ...(व्यवधान)... I will call him. ...(*Interruptions*)... Please take your seat ...(*Interruptions*)... Mr. Narayanasamy, Please behave in proper manner. ...(*Interruptions*)...

Mr. Narayanasamy, Please behave in proper manner. ...(*Interruptions*)... Please take your seat ...(*Interruptions*)... Mr. Narayanasamy, please take your seat. ...(*Interruptions*)... Please take your seat. ...(*Interruptions*)... चलिए, वृंदा जी, आप बोलिए।

श्री रुद्रनारायण पाणि: सभापति जी, मैं ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: बैठ जाइए, रिकॉर्ड पर कुछ नहीं जा रहा है ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: सभापति जी, मैं आपके द्वारा मंत्री जी को बधाई और मुबारकबाद देना चाहती हूं क्योंकि जब से यह कानून लागू हुआ है, इसके implementation के लिए उन्होंने बहुत पहल की है। अभी मुझे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों का दौरा करने का मौका मिला, वहां एक बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग महाराष्ट्र के नंदूरबा क्षेत्र में गए और उसके साथ-साथ गुजरात का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें आदिवासी गांव भी शामिल हैं, आज वह क्षेत्र बाढ़ से पीड़ित है और बुरे तरीके से वहां के आदिवासी लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। अभी जो REGA की परिकल्पना है, उसे परिकल्पना का मुख्य काम earth work है, लेकिन मानसून और बाढ़ के समय यह काम नहीं हो सकता है। जब हम लोग वहां गए और हमने आदिवासी भाइयों से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इस पूरे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जहां काम बिल्कुल नहीं है, जहां रोजगार का कतई कोई प्रावधान नहीं है, इस समय वहां REGA को लागू करने की सख्त जरूरत है, लेकिन जो REGA है, वह लागू नहीं हो सकता है।

श्री सभापति: बोलिए, मंत्री जी, आप क्या कहते हैं?

श्रीमती वृंदा कारत: सर, यह बहुत सीरियस बात है।

श्री सभापति: आप question करिए ...(व्यवधान)...

श्रीमती वृंदा कारत: सर, question यही है कि आज पूरे बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में REGA लागू नहीं है ...(व्यवधान)... जब कि वहां REGA की सबसे अधिक जरूरत गुजरात, महाराष्ट्र और ऐसे तमाम प्रदेशों में है ...(व्यवधान)... इसलिए आज rural development के मंत्रालय की तरफ से immediately पहल करने की जरूरत है, इस पूरे क्षेत्र में REGA को विभिन्न schemes में प्रदेश सरकारों के साथ लगकर लागू करने की जरूरत है ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: ठीक है, आपका question हो गया।

श्रीमती वृंदा कारत: कुछ नई schemes बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए लागू करने की जरूरत है, ताकि जो भूख की स्थिति है, उससे निपटने में REGA काम आए। इसके बारे में आप क्या कदम उठा सकते हैं?

श्री सभापति: आप जवाब दीजिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, आठ तरह के काम किए जा सकते हैं, यह कानून में लिखा हुआ है और और नवें में यह भी कहा गया है कि—any other work which may be notified by the Central Government in consultation with a State Government. जैसे water conservation, water harvesting, drought proofing, including afforestation, tree plantation, और irrigation facility, यह सब है ही, land development, flood control and protection of works including drainage in water-logged areas and rural connectivity. इन सभी के अलावा कहा गया है कि यदि राज्य सरकार कोई जरूरत महसूस करे तो उनके सुझाव पर हम नया काम भी उसमें जोड़ सकते हैं। इसलिए बाढ़ पीड़ित इलाके में यदि कोई काम संभव हो और राज्य सरकार हमसे कहे, तो उस पर भी हम विचार कर सकते हैं।

श्रीमती वृंदा कारत: सर, वहां बहुत बुरा हाल है।

श्री सभापति: हो गया, अब शरद यादव जी को बोलने दीजिए।

श्री शरद यादव: सभापति जी, मंत्री जी अच्छी तरह जानते हैं, बाकी काम के ऊपर लोगों ने सवाल पूछा है, उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना है, देश में जो कबाल टाऊन हैं मतलब जो बड़े शहर हैं, बड़े पैमाने पर गांव उनके पेट में, उनके भीतर जा रहे हैं। देश के बड़े शहरों में बड़े-बड़े तालाब थे, वे सब encroach हो रहे हैं और सब तरह से उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। इस देश में एक नया कार्यक्रम और चला हुआ है, वह है सेज का, economic zone का। इसके नाम पर देश के पूरे ग्रामीण इलाकों में सीमेंट से जमीन का मुंह भरा जा रहा है। सभापति जी, जैसे दिल्ली में जो रिज का इलाका है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने stay दे दिया है और अजीब बात यह है कि जो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, वह बिल्डर्स को बड़े पैमाने पर, वह दिल्ली का सबसे बड़ा reservoir है। रघुवंश बाबू को पानी की चिन्ता है, तो सेज के नाम पर और दूसरे और तरह के नाम पर शहरों के पेट में जो गांव जा रहे हैं, वह भी पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण है। क्या इसके ऊपर आप कोई पहल करेंगे?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, गांवों में जितने Rural Water Bodies हैं, हमने राज्य सरकारों को कहा है कि जहां कहीं यह encroach हो गया या भर गया या siltation हो गया उन Rural Water Bodies को renovate किया जाए, उन्हें पुनर्जीवित किया जाए। माननीय श्री शरद यादव जी ने जो चिन्ता जताई है, हम देखेंगे कि इसके ऊपर क्या किया जा सकता है।

श्री कांजीभाई पटेल: माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इस योजना से अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को ज्यादा-से-ज्यादा लाभ देने का उद्देश्य है। गुजरात में ऐसे भी जिले हैं, जहां पर आज भी आदिवासियों का बाहुल्य है, जैसे नवसारी, वलसाड, सूरत आदि हैं। यह योजना इन जिलों में लागू नहीं है। यहां यह कब तक लागू होगी, क्या मंत्री जी बताएंगे?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, 5 वर्षों के अन्दर इसे देश के सभी जिलों में लागू होना है। अभी यह 200 जिलों में लागू हो चुकी है। माननीय सदस्य जो बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि सेकंड फेज में वे सब इसमें आ जाने चाहिए।

सुश्री सुशीला तिरिया: सभापति महोदय, साब्र कांठा, डांग्स आदि में जो भूमि है, वे सब ट्राइबल डिस्ट्रिक्टस हैं। इसमें गुजरात की रिपोर्ट में इस संबंध में जीरो आंकड़ा दिया गया है। इसी में आखिर में यह भी दिया गया है कि भारतीय स्तर पर यह दूसरे राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगी कि क्या उड़ीसा में इन्दिरा आवास योजना के तहत ST/SC beneficiaries के लिए यह स्कीम लागू की गई है? यदि लागू की गई है, तो क्या आपके पास इस संबंध में कोई satisfactory आंकड़ा है?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, उड़ीसा में 20 जिलों में यह लागू है। वहां भी आदिवासियों को इस कानून के तहत जो लाभ मिलना चाहिए, वह मिल रहा है।

श्री दत्ता मेघे: सर, महाराष्ट्र के अन्दर यह कानून पहले से था और इसके लिए महाराष्ट्र की जनता को गर्व था। क्या इस स्कीम का फायदा लेते हुए उस पैसे को मिला कर महाराष्ट्र के सभी जिलों में आप जल्द-से-जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट की इस स्कीम लागू करने वाले हैं? उनके पास पैसा है, हम पहले खर्च करते थे, अब आपका पैसा आने से उस पैसे की बचत हो रही है। आप महाराष्ट्र सरकार को उस पैसे और इस पैसे को रोजगार कानून पर खर्च करने के लिए बताइए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, राज्य सरकार इसमें स्वतंत्र है कि उसके पास यदि पैसा है, तो वह इसी कानून को अन्य जिलों में भी अपने स्तर से लागू करा सकती है। देश के स्तर पर 200 जिलों का चयन किया गया है और आगे जब सेकंड फेज आएगा, तो हम अन्य जिलों पर भी विचार करेंगे।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, we actually wanted to have a full-fledged discussion on this subject. But, due to paucity of time...

MR. CHAIRMAN: Please, put your question.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, on the one hand, we are talking about misuse of funds, while on the other, there is also non-utilisation of funds. In my own State, where 42 lakh people have applied for job cards, only seven lakh people have been provided with employment. Is it due to lack of community participation and ownership, or, is it due to lack of proper planning, or is it due to false muster rolls provided by the officials?

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: महोदय, कहीं भी देश के किसी जिले में पैसे की कमी महसूस नहीं की गई है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, देश भर में applications registered are 3,28,41,664, Job Cards issued-2,45,64,480 and employment demanded-82,66,447. महोदय, इसका मतलब यह है कि कुछ लोग जानकारी के अभाव में, जो ग्रेजुएट्स हैं, जैसा कि नारायणसामी जी agitate कर रहे थे, जो physical labour नहीं कर सकते थे, उन्होंने भी अपना नाम लिखा दिया। इस कारण इसमें संख्या ज्यादा हो गई। लेकिन जो असल में employment demanded है, उसके लिए पर्याप्त राशि हरेक जिले में है। राशि की कमी के चलते कोई भी ऐसा जिला नहीं है, जो यह महसूस करे कि पैसे के चलते काम नहीं दिया जा रहा है। महोदय, इसलिए हमारी इस पर नजर है। यह ठीक है कि कई ग्रेजुएट्स, एमए पास लोगों ने बेकारी भत्ता लेने के लिए इसमें अपना नाम लिखा लिया, लेकिन जब उन्होंने यह जाना कि इसमें physical labour करनी पड़ेगी, तब उन्होंने employment demand नहीं किया। इसलिए हम इस फिगर को देख रहे हैं और इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि इसमें क्या गड़बड़ी है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Employment in Private Sector Industries under NREGA

†*383. SHRI DHARAM PAL SABHARWAL: Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that private sector industries have assured to provide employment under National Rural Employment Guarantee Act;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) to (c) National Rural Employment Guarantee Act is a Central legislation under which State Governments are required to formulate schemes and identify works for providing employment to the job card holder wage seekers. The funds are shared by the Central Government and the State Governments as per the provisions of the Act. Private sector industries are not involved in the process of providing employment under the Act.

† Original notice of the question was received in Hindi.